रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122022-241143 CG-DL-E-16122022-241143

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5642]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 15, 2022/अग्रहायण 24, 1944

No. 5642]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 15, 2022/AGRAHAYANA 24, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रलाय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5878(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जनवरी, 2023 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस पर उक्त अधिनियम के उपबंध, अर्थात:—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38 से धारा 43 और धारा 45क से धारा 45ज तक;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक; और
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83.

मध्य प्रदे"। राज्य के सिहोर, शाजापुर और गुना जिलों के सभी क्षेत्रों में, उक्त जिलों के पहले से अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त, प्रवृत होंगे।

[फा. सं. एस-38013 / 12 / 2022-एसएस**-**I]

आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

8388 GI/2022 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2022

- S.O. 5878(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of January, 2023, as the date on which the provisions of the said Act, namely,—
 - (i) sections 38 to 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
 - (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
 - (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI,

shall come into force in all the areas of Sehore, Shajapur and Guna districts, in addition to the already notified areas of the said districts, in the State of Madhya Pradesh.

[F. No. S-38013/12/2022-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser